Government of India
Ministry of External Affairs
(United Nations Political Division)
***

No. U.II/551/31/2018
MOEAF/R/2018/00999 **Dated: 30th November, 2018**

To,

Sh. Bam Bam Maharaj Nohattiyan,
Chamber No. B-71, B.G.S. Block,
Tees Hajari Court, Delhi – 110054.

Sir,

Please refer to your RTI application received in this Division on 01.11.2018. The response to your RTI application is as follows:

2. The Information requested by you in point No. 6 is available in public domain on the link mentioned below:
http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/88368/S_628-EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

However, the justification/interpretation asked from Public Information Officer is replied as 'Nil' as the Public Information Officer is not required to furnish information which require drawing of inference and/or making of assumption; or to interpret information; or to furnish replies to hypothetical questions.

3. If you are aggrieved with this reply, you may file an appeal with Shri Vidhu P. Nair, Director(UNP) and Appellate Authority, UNP Division, Ministry of External Affairs, Room No. 2018, 'A' Wing, Jawaharlal Nehru Bhawan, 23-D, Janpath, New Delhi-110011, Ph.: 011-49018413 within 30 days of receipt of this letter.

(T. Angeline Premalatha)
Deputy Secretary (UNP)
Room No. 2029, 'A' Wing,
Jawaharlal Nehru Bhawan,
23-D, Janpath, New Delhi-110011.
Ph.: 011-49018411

CC to:

1. Under Secretary (RTI), MEA, New Delhi

IPO No. 606/RTI/MEA/2018

Rs. 10/-

1601/18.

सेवा में,

डा. सं. 3406
Dy. No.........../RTI Cell/2018
दिनांक/Dated 01-11-18

1— श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय
प्रधानमंत्री का कार्यालय, रायसीना हिल,
पी.एम.ओ. हाउस, नई दिल्ली।

2— श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय
कार्यालय राष्ट्रपति, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।

3— श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय
कार्यालय गृह मंत्री, गृह मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

4— श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय
कार्यालय कानून मंत्री, कानून मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

5— श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय
कार्यालय सुरक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

6— श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय
कार्यालय विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।

विषयः— सूचना का अधिकार 2005 के तहत मांगी गई सूचना प्रदान करने हेतू पत्र।

महाशय,

निवेदन यह है कि निम्न सूचना, सूचना अधिकार के तहत प्रदान करें।

1— यह कि कृप्या जानकारी प्रदान करें कि सन 1948 से लेकर आज दिनांक 3/10/2018 तक जम्मू और कशमीर में आतंकवादियों के हाथ तथा पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित युद्ध 1965—1971 की सहित में कितने सैनिक और जनता मारे गये और कितनी जन धन की हानि हुई और सरकार की ओर से

अब तक कितने राजस्व का खर्चा हो चुका है इनकी सन 1948 से लेकर 2018 तक साल दर साल जानकारी प्रदान करें।

2– कृप्या जानकारी प्रदान करें कि जम्मू और कशमीर में आतंकवादियों के ऊपर किस कानून और प्रावधान के तहत भारत सरकार के द्वारा अथवा जम्मू और काशमीर सरकार के द्वारा राजस्व का खर्चा किया गया है और क्यों किया गया है क्योंकि जो राजस्व सरकार द्वारा भारत सरकार और जम्मू काश्मीर सरकार द्वारा आतंकवादियों के उपर खर्च किया गया है उस खर्चे से आतंकवादियों ने देश की जनता, देश की जवान और जम्मू और काश्मीर की पुलिस सहित कितनी धन की राशि का नुकसान अब तक किया है इसकी जानकारी कमवार साल दर साल प्रदान करें।

3– कृप्या जानकारी प्रदान करें कि जम्मू और काश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं इसके संबंध में प्रमाणिक और कानूनी प्रमाण महाराजा हरी सिंह, जम्मू और काश्मीर के महाराज से लेकर भारतीय संसद में पारित प्रस्ताव सहित और कोई अन्य हों तो उनके सहित की जानकारी प्रदान करें।

4– यह कि कृप्या जम्मू और काश्मीर मामले में शिमला समझौते के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान करें। US(PMC)

5– यह कि कृप्या जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में तासकंद रूस के समझौते के बारे में भी जानकारी प्रदान करें। US(ERS)

6– यह कि कृप्या जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में जो तत्कालीन सरकार के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विवाद को लेकर बेवजह गये थे उसके सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करें और जायज वजह पर संयुक्त राष्ट्र गये थे अथवा जायज वजह पर नहीं गये थे इसके संबंध में भी अपनी टिप्पणी/राय प्रदान करें। US(UNP)

7– कृप्या जानकारी प्रदान करें कि भारत सरकार के अंतगर्त जो जम्मू काश्मीर है और जो जम्मू और काश्मीर पाक अधिकृत काश्मीर है और जो जम्मू और काश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है वो सभी भारत का हिस्सा हैं या नहीं। या भारत का हिस्सा है तो इसकी जानकारी प्रदान करें और यदि नहीं है तो इसकी जानकारी प्रदान करें और यदि भारत का हिस्सा है तो अब तक भारत का हिस्सा दूसरे देश के अधीन क्यों है भारत का हिस्सा चीन और पाकिस्तानी की गुलामी में क्यों है, जानकारी प्रदान करें। US(PAK) US(CHINA)

8– कृप्या जानकारी प्रदान करें कि भारत सरकार अपनी ताकत से अपनी सोच व्यवस्था से क्या एक साल से दो साल के अंतर्गत यानि सन 2018 से 2020 तक जम्मू और काश्मीर की उस भू–विभाग को, जो कि पाक अधिकृत काश्मीर है और X

पाकिस्तान द्वारा दिया गया चीन को काश्मीर है उसे आप मुक्त कराने में सक्षम है या नहीं और जम्मू और काश्मीर को अखण्ड कराने में सक्षम है या नहीं। जानकारी प्रदान करें।

9– कृप्या जानकारी प्रदान करें कि सन 2014 नई सरकार के आने के पश्चात और इस नई सरकार को मेरे द्वारा/बम बम महाराज नौहट्टियां के द्वारा दिये गये आवेदन अथवा दावा पत्र जो कि जम्मू और काश्मीर की समस्या की स्थाई समाधान वास्ते था तथा जो अखण्ड जम्मू और काश्मीर समस्या समाधान मंत्रालय गठन करने से संबंधित था और इस मंत्रालय के द्वारा प्रार्थी द्वारा जम्मू और काश्मीर की समस्या की स्थाई समाधान के बारे में लिखा गया था उस पर आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई और इस पत्र के पश्चात आज दिनांक 3/10/2018 तक कितने जनता और जवान की आतंकवादियों के हाथ मौतें हुई तथा कितनी धन की हानि हुई तथा भारत सरकार व जंम्मू काश्मीर के द्वारा कितने राजस्व खर्च किये गये, इसकी कमवार जानकारी प्रदान करें।

No such info

10– कृप्या जानकारी प्रदान करें कि क्या प्रार्थी द्वारा जम्मू और काश्मीर की समस्या का समाधान आपके द्वारा अधिकार प्रदान करने के बाद और आपके द्वारा अखण्ड जम्मू और काश्मीर समस्या समाधान मंत्रालय का गठन कर देने के पश्चात प्रार्थी को उक्त कार्य को करने के लिये अधिकार देने से जब जम्मू

No such info

और काश्मीर समस्या का समाधान हो जाता है और प्रार्थी कर देता है और प्रार्थी के द्वारा पाक अधिकृत काश्मीर तथा पाकिस्तान द्वारा चीन को दिये गये काश्मीर हिस्सा को आजाद कराकर भारत सरकार के जम्मू और काश्मीर में शामिल करा दिया जाता है और इस प्रकार अखण्ड जम्मू और काश्मीर का निर्माण किया जाता है तो इसमें भारत सरकार को या किसी को भी क्या आपत्ति है जानकारी प्रदान करें।

11– कृप्या जानकारी प्रदान करें कि जो ज़वाबदेही भारत सरकार की है उसमें भारत सरकार अब तक सन 1948 से लेकर 2018 तक असफल रहा है और इतने लंबे अंतराल में तीन–तीन ज़वानी खड़ी हो जाती है और उस समस्या का दूर–दूर तक सरकार के माध्यम से कहीं कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है और ना ही जिस प्रकार की सरकार की गतिविधि है उसके अनुसार आने वाले 100 साल में भी समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा है उस परिस्थिति में जब मैं 2020 तक उक्त समस्या का समाधान गारंटी के साथ कर दिया ज़ाने के सम्बन्ध में आपको बार–बार लिखित में पत्र और दावा प्रस्तुत कर रहा हूं तो फिर आपके द्वारा क्या वजह है कि आप हमें जम्मू और काश्मीर समस्या का समाधान करने देना नहीं चाहते है।

12– कृप्या जानकारी प्रदान करें कि आपको राजनीति करनी है या देश सेवा करनी है या जम्मू और काश्मीर समस्या को

ऐसे ही बनाये रखकर जनता और जवान की मौत को देखते रहना है और उस पर घड़ियाली आंसू बहाना है अथवा इस समस्या का मेरे द्वारा स्थाई और गारंटिड समाधान निकालने वास्ते हमारे पत्रों के ऊपर कार्यवाही कर अखण्ड जम्मू और काश्मीर समस्या समाधान मंत्रालय का गठन करना है और इसके माध्यम से हमें मंत्रालय का कार्यभार देकर जम्मू और काश्मीर समस्या का समाधान कराना है हां और नहीं में जवाब दें।

अतः आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त पैरा 1 से 12 तक पर पैरावाईज पूर्ण विवरण सहित कोई किन्तु, परन्तु नहीं। स्पष्ट और साफ जानकारी देश हित में प्रदान करें, इसके लिये 10/–रुपये का भारतीय पोस्टल आर्डर साथ में संलग्न कर रहा हूं और भी अन्य खर्चे सूचना अधिकार के तहत जो होंगें प्रदान करूंगा। कृप्या देश हित में मांगी गई जानकारी प्रदान कर कृतार्थ करें। IPO No-44F-148588

दिनांक –21/10/2018

प्रार्थी

बम बम महाराज नौहट्टियां
महासचिव समाजवादी लेबर फ्रन्ट
चैम्बर नंबर बी–71, बी.जी.एस.ब्लॉक,
तीस हज़ारी कोर्ट, दिल्ली–110054
मो.न. 9953793413